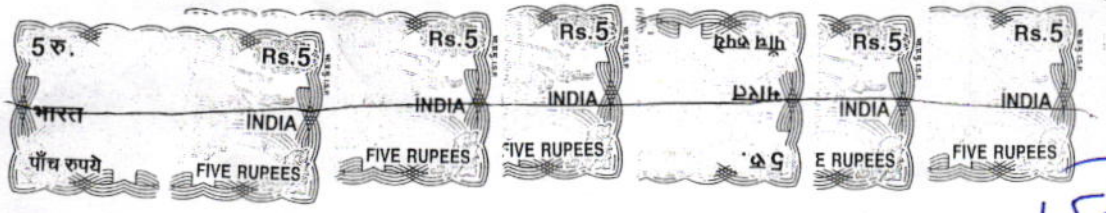

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

156

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग – 814 – II-16

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

दिनांक 8-3-16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

8-3-16

SO

1. श्रीमती धर्मवती सिंह पत्नी श्री राघवेन्द्र सिंह पायक निवासी विनोद कुंज, चकरा तिगैला, टीकमगढ
2. नरेन्द्र सिंह
3. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व. श्री गोविन्द सिंह निवासीगण – रेन्ज कालोनी सिविल लाईन टीकमगढ म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती मैदाबाई पत्नी स्व0 श्री सरदार सिंह ठाकुर निवासी ग्राम उत्तमपुरा तहसील व जिला टीकमगढ
2. श्रीमती राजकुंवर पत्नी श्री कोमल सिंह सेंगर पुत्री स्व. श्री सरदार सिंह निवासी ग्राम स्यावनी तहसील जतारा जिला टीकमगढ
3. सोबरन सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह निवासी उत्तमपुरा तहसील व जिला टीकमगढ
4. सुवराज सिंह पुत्र स्व. सरदार सिंह निवासी जिला जेल सागर
5. शिवराज सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह ठाकुर निवासी उत्तमपुरा तहसील व जिला टीकमगढ
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह ठाकुर निवासी विनोद कुंज तिराहा गणेश कालोनी टीकमगढ

7. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह ठाकुर निवासी उत्तमपुरा तहसील व जिला टीकमगढ

8. श्रीमती कुंवरबाई बेबा स्व. श्री गोविन्द सिंह निवासी रेंज कालोनी सिविल लाईन टीकमगढ जिला मुरैना

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भूराजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 123/ 2014– 15 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरूद्व निगरानी ।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, ग्राम उत्तमपुरा तहसील व जिला टीकमगढ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 17/2 , 125, 137, 119, 122, 129, 127, 126, 128, 126/ 242 , 126/ 241 कुल किता 11 रकवा 5.215 हेक्टर के भूमि स्वामी सरदार सिंह के मृत हो जाने पर दिनांक 21.05.1991 को विधिवत पटवारी रिपोर्ट व सिजरा तैयार कर पंजी क्रमांक 15 दिनांक 03.06.1991 को विधिवत अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 7 एवं 8 के पति गोविन्द सिंह के नाम नामान्तरण किया गया ।

2. यहकि, विवादित भूमि के सर्वे क्रमांक 17/2 रकवा 4.047 हे. का 5/6 हिस्सा रकवा 3.373 हेक्टर आवेदिका क्रमांक 1 धर्मवती सिंह

निग० 814. 16/16 (टीकमगढ़)

19-8-16 प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभगीय अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 123/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27-2-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खातेदार सरदार सिंह पुत्र रंधीर सिंह के नाम ग्राम उत्तमपुरा में कुल किता 11 कुल रकबा 5.215 हैक्टर भूमि थी, जिसकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 15 पर प्रविष्टि दिनांक 6-10-1990 अनुसार आदेश दिनॉक 3-6-1991 से आवेदकगण का वारिसाना नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 21-5-2015 को लगभग 23 वर्ष 11 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की तथा विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की

प्र0क0 814-दो/2016 निगरानी धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 123/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27-2-2016 से विलम्ब स्वीकार कर प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री प्रेम सिंह भदौरिया एंव श्री आर0एस0सेंगर उपस्थित। अनावेदक कमांक 1 से 7 की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। उनके तर्क सुने गये। अनावेदक कमांक-8 के विरूद्व पूर्व से एकपक्षीय है।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 23 वर्ष 11 माह के अंतराल पर अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि वह मृतक खातेदार के अनसूची एक के वारिस होकर पत्नि, पुत्र/पुत्री हैं। नामान्तरण आदेश के 23 वर्ष 11 माह तक राजस्व अधिकारियों के समक्ष खातेदार की मृत्यु के वाद नामान्तरण कार्यवाही हेतु अनावेदकगण द्वारा प्रयास न करना एंव 23 वर्ष 11 माह अंतराल वाद स्वयं् को पत्नि/पुत्र,पुत्री बताकर मृतक द्वारा छोड़ी गई भूमि में स्वत्व के आधार पर नामानतरण की मांग करना संदेह उत्पन्न करता है। यदि वास्तव में वह मृतक की पत्नि/पुत्र,पुत्री है तब उन्हें स्वत्व का विवाद व्यवहार न्यायालय से निराकरण करना होगा।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में आये तथ्यों से ज्ञात होता है कि नामान्तरण आदेश दिनॉक 3-6-1991 के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 21-5-2015 को लगभग 23 वर्ष 11 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब को अंतरिम आदेश दिनॉक 27-2-16 से क्षमा किया है। विचार योग्य है कि क्या लगभग 23 वर्ष 11 माह वाद विलम्ब प्रस्तुत हुई अपील में विलम्ब क्षमा किया जाना नियमानुकूल है ?

स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्व सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वीकली नोट 193 में व्यवस्था दी गई है कि अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यचान अधिकार

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 814– दो/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर

को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने एंव क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के पैरा–2 में अनावेदकगण ने बताया है कि –

" जब दिनांक 27–4–2015 को अपीलार्थिया का अपने पुत्र सुरेन्द्र सिंह से वाद विवाद हुआ तब दिनांक 28–4–2015 को अपीलार्थिया ने अपनी भूमि की नकल हेतु आवेदन किया, जो नकल 19–5–2015 को प्राप्त हुई, फिर उससे नामानतरण पंजी की जानकारी होने पर दिनांक 19–5–2015 को अर्जेण्ट प्रकिया द्वारा पंजी की नकल प्राप्त कर शीघ्र ही आज अधिवक्ता से सलाह लेकर धारा 5 म्याद अधिनियम एंव हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के विलम्ब की क्षमा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। "

अविधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित उक्त तथ्य पर विश्वास करके अनुविभागीय अधिकारी ने लगभग 23 वर्ष 11 माह के विलम्ब को क्षमा किया है, जबकि इतनी लंबी अवधि तक आवेदकगण वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण कराकर खेती चले आये, अनावेदकगण चुप बैठे रहे । इसके अतिरिक्त जब वह मृतक खातेदार के अनुसूची एक के वारिस हैं तथा पत्नि एंव पुत्र/पुत्री हैं उनके द्वारा खातेदार की मृत्यु के 23 वर्ष 11 माह तक स्वयं् के नामान्तरण कराने के प्रयास क्यों नहीं किये। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में इसका समाधान नहीं है न ही अनावेदकगण के अभिभाषक यह समाधान करा सके कि लगभग 23 वर्ष 11 माह अनावेदकगण क्यों चुप बैठे रहे एंव स्वयं् के नाम नामानतरण की कार्यवाही क्यों नहीं कराई।

स्टेट आफ एम0पी0 बनाम फकीर चंद 1980 (2) म0प्र0वी0नो0 199 एंव स्टेट आफ एम0पी0 बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे0एल0जे0 36 एम0पी0 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि - परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई - विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।

अनुविभागीय अधिकारी के विचाराधीन प्रकरण में विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं पाये गये है इसके वाद भी उन्होंने अनुचित आधारों पर विलम्ब क्षमा किया है जिसके कारण अनुविभगीय अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 123/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27-2-2016 उचित नहीं पाये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभगीय अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 123/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27-2-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य